छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दा.अ.क्र.188/1998

युगल पीठ : माननीय श्री फखरुद्दीन एवं

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा , न्यायाधीशगण

अपीलार्थी : मोतीलाल

बनाम

उत्तरवादी : मध्य प्रदेश राज्य (अब छ.ग.)

उपस्थित:

अपीलार्थी के की ओर से : श्री रमाकांत पांडे अधिवक्ता ।

न्याय मित्र के रूप में प्रस्तुत : श्री पी.के.सी. तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ।

उत्तरदाता / राज्य की ओर से : श्री एम.पी.एस.भाटिया (पैनल) अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(29 जून 2006)

प्रति धीरेन्द्र मिश्रा न्यायाधीश,

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत उस आक्षेपित निर्णय दिनांक 25.11.1997 के विरुद्ध दायर की गई है, जो द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 17/1995 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी/आक्षेपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हिमांचल गुप्ता की हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। हालांकि, अन्य दो सह–अभियुक्तगण पंचराम, जो अपीलार्थी के पिता हैं, तथा श्रीमती सुकमती बाई, जो अपीलार्थी की चचेरी बहन हैं जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत आरोपित किया गया था, को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है।

2. आक्षेपित द्वारा प्रदत्त सूचना, प्रदर्श पी/19 के अनुसार, का सार एवं निष्कर्ष इस प्रकार है:—

अपीलार्थी ने स्वयं दिनांक 11.7.1994 को पुलिस थाना चक्रधरनगर, रायगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/17 दर्ज कराई कि उक्त दिनांक को प्रातः लगभग 6 बजे वह अपनी चचेरी बहन सुखमतबाई के साथ घर में था, अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे। उसने सुखमतबाई की आवाज़ सुनी जिसके बाद वह कमरे में गया और देखा

कि हिमांचल प्रसाद खड़ा था और उसने सुखमतबाई को अपनी बाहों में घेर रखा था और सुखमतबाई उसका विरोध कर रही थी और उसे छोड़ने की गुहार लगा रही थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ हिमांचल अंडरवियर में कमरे से बाहर आ गया । उसने सुखमतीबाई को भाग जाने को कहा और उसके बाद कुल्हाड़ी लेकर हिमांचल प्रसाद के सिर पर वार कर दिया, जिससे हिमांचल प्रसाद आंगन में गिर गया। उसने हिमांचल प्रसाद का मुंह स्वेटर से बंद कर दिया और जब हिमांचल प्रसाद की मौत हो गई तो उसने शव को घसीटकर कमरे में रख दिया और कुल्हाड़ी भी कमरे में शव के पास रख दिया । इसके बाद उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और थाने की ओर चल दिया। पिता के पूछने पर उसने बताया कि वह रायगढ़ जा रहा है और थाने चला गया। आंगन में खून फैला हुआ था। थाने जाते समय रेलवे क्रॉसिंग के पास उसे हीरालाल खड़िया नामक व्यक्ति मिला और उसने बताया कि उसने हिमांचल को कुल्हाड़ी से मार दिया है। मिशन अस्पताल के पास उसकी मुलाकात कार्तिकराम से हुई और वह साइकिल से रेलवे क्रॉसिंग मोड़ तक आया और उसने कार्तिकराम को भी घटना बताई।

3 .घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जिसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) अपराध घटित होने की सूचना आरोपी ने स्वयं पुलिस थाने में दी थी।

(ii) मृतक का शव और अपराध में प्रयुक्त हथियार उसकी सूचना पर अभियुक्त/अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया।

(iii) अभियुक्त के पंचनामा प्रदर्श पी/18 के अनुसार अपीलार्थी के चेहरे, उसकी दोनों हथेलियों, शर्ट और लुंगी पर खून की बूंदें मौजूद थीं और सीरमविज्ञानी न और रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार कुल्हाड़ी, शर्ट और लुंगी में मानव रक्त था।

(iv) अपीलार्थी ने अ.सा.–3 कार्तिकराम और अ.सा.–13 हीरालाल के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया।

4. "अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रश्न है, वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिस्थिति को आक्षेपित के विरुद्ध मानना न्यायोचित नहीं है। आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या–3 एवं अभियोजन साक्षी संख्या–13 के समक्ष की गई कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन साक्षी–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने यह बात पहली बार न्यायालय के समक्ष कही है तथा उसने यह तथ्य किसी को नहीं बताया था, जबकि अभियोजन साक्षी–13 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पिछले पाँच वर्षों से उसके अपीलार्थी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे, अतः अपीलार्थी

के द्वारा अभियोजन साक्षी–13 हीरालाल के समक्ष संस्वीकृति किए जाने का कोई अवसर नहीं था। इसके अतिरिक्त, इन दोनों गवाहों के कथनों में उस स्थान के संबंध में विरोधाभास है जहाँ यह कथित संस्वीकृति की गई थी, अतः ऐसे संदिग्ध न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ।"

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **आहनू नागेसिया बनाम राज्य बिहार एआईआर 1966 एससी 119** मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए जोरदार ढंग से तर्क दिया कि "यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट आक्षेपित द्वारा पुलिस अधिकारी को दी जाती है और यह एक संस्वीकृति बयान के बराबर है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत संस्वीकृति का सबूत निषिद्ध है। आक्षेपित द्वारा कि गई संस्वीकृति कई भागों में हो सकता है और न केवल अपराध के वास्तविक कृत्य को प्रकट कर सकता है, बल्कि हेतुक, तैयारी, आशय, हथियार, हथियार को छिपाना और उसके बाद के आचरण को भी प्रकट कर सकता है। यदि संस्वीकृति दागदार है, तो दाग उसके प्रत्येक भाग से जुड़ जाता है। विधि में एक भाग को अलग करना और उसे संस्वीकृति न मानकर संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना स्वीकार्य नहीं है। न केवल अपराध की ग्राह्य, बल्कि अभियोगात्मक कथन में निहित किसी अन्य तथ्य की ग्राह्य भी संस्वीकृति का हिस्सा है। यदि संस्वीकृति के सबूत को साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 और 25 द्वारा बाहर रखा जाता है, तो संपूर्ण संस्वीकृति कथन को उसके सभी भागों में, जिसमें छोटे–मोटे नगण्य अभियोगात्मक तथ्यों की ग्राह्य भी शामिल है, तब तक बाहर रखा जाना चाहिए, जब तक कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 जैसे किसी अन्य प्रावधान द्वारा इसके सबूत की अनुमति न दी गई हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. आगे यह तर्क दिया गया है कि यदि यह माना जाता है कि अपीलार्थी विचाराधीन अपराध के लिए जिम्मेदार था, तो उस मामले में भी जिन परिस्थितियों में कथित अपराध किया गया था, वे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि यह पूर्व–योजनाबद्ध तरीके से और मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं किया गया था और वास्तव में यह घटना अचानक और गंभीर प्रकोपन के तहत क्षणिक आवेग में घटित हुई थी, क्योंकि मृतक उसके ही घर में अपीलार्थी के चचेरी बहन की शील भंग करने की कोशिश कर रहा था।

7. **बागड़ी राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2004 में क्रि.एल.जे. 632** में प्रकाशित मामले में तथा **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शवमवीर एवं अन्य, 2005 में क्रि.एल.जे. 2606** में प्रकाशित के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है, तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित कोई भी अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304–(1) से परे नहीं है, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आता है।

8. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

9. हमने संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज जिसमे आरोप पत्र, विचारण के दौरा संकलित साक्ष्य तथा विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया गया

10. मृतक हिमांचल के मानववध में कोई विवाद नहीं है। अन्यथा भी अ.सा–1 डॉ. एमएल थवाईत के बयान से, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/1 प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने खोपड़ी के दाहिने हिस्से पर कटा हुआ घाव पाया, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क का पदार्थ बाहर आ गया था और आंतरिक जांच में दाहिने टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल हड्डी का फ्रैक्चर और झिल्ली का कटा होना पाया गया और मृत्यु का कारण कोमा और मस्तिष्क और खोपड़ी में चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमे को बताया गया, हिमांचल की मृत्यु मानववध स्थापित होती है।

11. जहां तक अभियुक्त/अपीलार्थी की प्रश्नगत अपराध में संलिप्तता का सवाल है, अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। यदि हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बताई गई परिस्थितियों पर गौर करें, जिनका विवरण पैरा संख्या 4 में दिया गया है, तो हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने घटना के तुरंत बाद सुबह लगभग 8.45 बजे प्रदर्श पी–19 की रिपोर्ट स्वयं दर्ज कराई थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर विधि प्रशासन एजेंसी को सक्रिय हुआ और विवेचना शुरू की गई। यह सत्य है कि आक्षेपित द्वारा पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट ,प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभियोगात्मक भाग के सम्बन्ध में अग्राह्य है। फिर भी, आक्षेपित द्वारा स्वयं अपराध करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने तथा ऐसी सूचना के आधार पर जब विधि कानून प्रशासन सक्रिय होता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार आक्षेपित का आचरण साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात पुलिस घटना स्थल पर अन्वेषण के लिए गई तथा अपीलार्थी का मेमोरेंडम प्रदर्श.पी–2 द्वारा मेमोरेंडम दर्ज किया गया तथा उसके मेमोरेंडम के आधार पर अपराध में प्रयुक्त हथियार अर्थात कुल्हाड़ी को प्रदर्श पी–4 के माध्यम से जब्त किया गया। मेमोरेंडम तथा जब्ती को अ.सा.–2 हुलासराम तथा अ.सा.–15 अन्वेषण अधिकारी रश्मिकांत मिश्रा द्वारा प्रमाणित किया गया है। आक्षेपित से खून से सनी शर्ट और घर की चाबी प्रदर्श पी–9 के अनुसार जब्त की गई है और अपीलार्थी के घर का ताला प्रदर्श पी–7 के पंचनामा के अनुसार जब्त की गई चाबी से खोला जा सकता था। यह भी स्थापित है कि मृतक का शव प्रदर्श पी–12 की मृत्यु की समीक्षा अन्वेषण के अनुसार अपीलार्थी के घर के कमरे में पाया गया था। अपीलार्थी द्वारा गवाहों को सुझाव देने या बचाव पक्ष में प्रवेश करने के माध्यम से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि किन परिस्थितियों में उसने रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके घर का ताला उससे जब्त की गई चाबी से खोला गया और मृतक का शव उसके बंद कमरे से मिला। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी से जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था और सीरमविज्ञानी और रासायनिक विश्लेषकों की रिपोर्ट (प्रदर्श पी–27) के अनुसार अपीलार्थी से जब्त की गई कुल्हाड़ी, शर्ट और लुंगी में मानव रक्त उपस्थित था।

12. अगली परिस्थिति जिसके आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है, वह अपीलार्थी द्वारा अ.सा.–3 और अ.सा.–13 के समक्ष किया गया न्यायिकेत्तर संस्वीकृति बयान है। अ.सा–3 कार्तिकराम ने कहा है कि घटना की तारीख को जब वह सुबह करीब 7.30 बजे अपनी साइकिल से जा रहा था, तो आरोपी उसे पहाड़ मंदिर के पास मिला और उसके साथ गया और रास्ते में उसने कबूल किया कि उसने हिमांचल गुप्ता की हत्या की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है और उसके बाद वह रेलवे क्रॉसिंग के पास उससे अलग हो गया। हालांकि इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–8 में कहा है कि उसने यह तथ्य दूसरों को नहीं बताया और पुलिस ने इसे अपने डायरी बयान में दर्ज नहीं किया और वह इस तथ्य को इस न्यायालय के समक्ष पहली बार बता रहा था लेकिन इस गवाह के बयान का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही मिलता है। अन्वेषण अधिकारी अ.सा.–15 ने अपने बयान के पैरा–6 में कहा है कि अन्वेषण के दौरान उसने अन्य गवाहों के साथ कार्तिकराम का भी बयान दर्ज किया था। बचाव पक्ष ने अन्वेषण अधिकारी के उपरोक्त कथन को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी है और इसलिए प्रतिपरीक्षण में अ.सा.–3 का यह बयान कि वह न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में पहली बार बयान दे रहा था, बचाव पक्ष के लिए कोई मदद नहीं करता। इसी तरह अ.सा.–13 हीरालाल ने बयान दिया है कि वह हिमांचल को जानता था, वह मर चुका है। घटना की तारीख को आरोपी/ अपीलार्थी मोतीराम ने उसे बताया कि उसने हिमांचल की हत्या अपने घर में सुबह करीब 7–8 बजे की है। जब वह बाजार करने के लिए जा रहा था, उस समय कार्तिक भी मोतीराम के साथ साइकिल पर आ रहा था और रेलवे क्रॉसिंग के पास उनसे मुलाकात हुई। पूछने पर मोतीराम ने बताया कि उसने हिमाचल की उसके घर में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। जब वह बाजार से लौटा तो पुलिस और मोतीराम पहले ही गांव में आ चुके थे। प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि आरोपी और मृतक के बीच बहुत अच्छे संबंध थे और उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। घटना की तारीख तक आरोपी और मृतक एक दूसरे के घर आते–जाते थे। हालांकि उसने अपने बयान के पैरा–8, 9 और 10 में स्वीकार किया है कि पिछले पांच साल से उसके और आरोपी के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और उनके बीच मतभेद थे। हालांकि पैरा–11 में उसने इस बात से इनकार किया है कि आरोपी उससे रेलवे क्रॉसिंग के पास नहीं मिला और उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और वह झूठ बोल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस गवाह का बयान अ.सा.–3 के बयान से पूरी तरह से पुष्ट होता है, हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि चूंकि इस गवाह का अपीलार्थी के साथ कोई दुश्मनी का संबंध है, इसलिए वह झूठ बोल रहा है। अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में यह बचाव किया है कि मृतक के साथ उसकी किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं थी, हालांकि, चूंकि मृतक बुरे चरित्र का था, इसलिए गांव के कई लोग उससे नाराज थे और उसे दूसरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए फंसाया गया है। जहां तक उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का सवाल है, उसने किसी भी रिपोर्ट दर्ज कराने से इनकार किया है और कहा है कि निरीक्षक द्वारा विभिन्न कागजातों पर उसके अंगूठे का निशान बल पूर्वक प्राप्त किया गया है।

14. हालांकि, इस तथ्य के मद्देनजर कि अपीलार्थी की सुसंगत समय पर पुलिस थाना में उपस्थिति पर ब.सा.1 बालकराम द्वारा भी विवाद नहीं किया गया है, जिसकी खुद अपीलार्थी ने अपीलार्थी ने परीक्षण कराया था और कहा था कि जब वह पुलिस थाना चक्रधरनगर से गुजर रहा था, तो उसने धमकी देने की आवाज सुनी और जिज्ञासा से जब उसने पुलिस थाना में झांका, तो उसने देखा कि पुलिस कर्मी अपीलार्थी को रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए पीट रहे थे, कम से कम अपीलार्थी की सुसंगत समय पर पुलिस थाना में उपस्थिति स्थापित होती है। अन्यथा भी आरोपी/अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट अघनू नागेसिया बनाम के बिहार राज्य

(पूर्वोक्त) मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संस्वीकृति से अलग भाग की सीमा तक ग्राह्य है। जिसमें यह कहा गया है कि यदि प्रथम सूचना आक्षेपित द्वारा स्वयं दी गई है, तो उसके द्वारा सूचना देने का तथ्य उसके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उसके आचरण के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। यदि सूचना न्यायिकेत्तर संस्वीकृति से अलग कथन है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के तहत आक्षेपित के खिलाफ स्वीकृति के रूप में ग्राह्य है और सुसंगत है। इस दृष्टिकोण का अनुसरण बाद में सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में किया गया है, जिसमें **(1994) 2 एससीसी 467** में **भेरू सिंह पिता कलवन सिंह बनाम राजस्थान राज्य** के प्रकाशित मामले में निर्णय भी शामिल है।

15. वर्तमान मामले में, अभियुक्त द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके द्वारा दी गई सूचना की प्रकृति का उल्लेख पूर्वगामी पैरा में किया गया है। अघनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य (पूर्वोक्त) के मामले में पैरा–19 के अंतिम भाग में यह माना गया है कि पृथक्करण परीक्षण भ्रामक है और संपूर्ण संस्वीकृति बयान धारा 25 के अंतर्गत आता है और धारा 27 द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर और आक्षेपित को रिपोर्ट के निर्माता के रूप में पहचानने वाले औपचारिक भाग को छोड़कर, इसका कोई भी हिस्सा साक्ष्य में पेश नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट के निर्माता के रूप में अपीलार्थी की पहचान स्थापित होती है। एक बार जब यह माना जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्थापित किया जा सकता है कि अपीलार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट का निर्माता था, तो हमारी विचारित राय के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट का वह हिस्सा जिसमें उल्लेख है कि अपीलार्थी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना गया था और रास्ते में उसकी मुलाकात अ.सा.–3 कार्तिकराम और अ.सा.–13 हीरालाल से हुई, वह भी ग्राह्य है और यह संस्वीकृति नहीं है। हम भेरू सिंह बनाम राजस्थान राज्य (पूर्वोक्त)के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अपने विचार में पुष्ट हैं। जिसमें पैरा–17 में कहा गया है कि "जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी आक्षेपित द्वारा स्वयं पुलिस अधिकारी को दी जाती है और वह किसी संस्वीकृति के लिए प्रवृत्त होता है, वहां अपराध संस्वीकृति का सबूत साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 द्वारा निषिद्ध है। संस्वीकृति का कोई भी हिस्सा साबित नहीं किया जा सकता या साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, सिवाय उस सीमा तक जब तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत इसकी अनुमति न हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है। इसका इस्तेमाल साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत मुखबिर की पुष्टि करने के लिए या साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है, अगर मुखबिर विचारण में गवाह के रूप में पेश होता है। जहां आक्षेपित स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराता है, वहां पुलिस को सूचना देने का तथ्य उसके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उसके आचरण के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है और जहां तक यह संस्वीकृति से अलग प्रकृति का है, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत भी सुसंगत होगा, लेकिन आक्षेपित द्वारा पुलिस अधिकारी को दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के संस्वीकृति भाग का साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रतिबंध के मद्देनजर उसके विरुद्ध बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता है।"

16. अघनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य (पूर्वोक्त) के मामले में यह माना गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 केवल पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर लागू होती है और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यदि यह कहा जा सकता है कि जब अभियुक्त/अपीलार्थी सीधे पुलिस अधिकारी को सूचना दे रहा था, जिसका उपयोग उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, तो उसे पुलिस अधिकारी की हिरासत में प्रस्तुत किया गया माना जा सकता है, तब ऐसे व्यक्ति को रचनात्मक पुलिस हिरासत में कहा जा सकता है और इसलिए, शव और कुल्हाड़ी की खोज के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित सूचना साक्ष्य में ग्राह्य है। यद्यपि उक्त निर्णय में यह इंगित किया गया है कि इस संबंध में मतभेद है, तथापि, यदि हम इस मामले में उपरोक्त निर्णय के अनुपात को लागू करते हैं तो हम पाते हैं कि शव और अपराध में प्रयुक्त हथियार की खोज अपीलार्थी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्र.पी/19 में दर्शाई गई वस्तु से की गई थी, कुल्हाड़ी को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था और उस पर मानव रक्त लगा हुआ पाया गया था।

17. हमने पहले ही अन्यत्र यह माना है कि अपीलार्थी द्वारा की गयी न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के संबंध में अ.सा.–3 और अ.सा.–13 के बयानों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट के ग्राह्य भाग से होती है और इसलिए, दूसरों के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का खुलासा न करने और अपीलार्थी के साथ अ.सा.–13 की दुश्मनी के संबंध में उनके बयानों में मामूली विसंगति उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाती है।

18. उपरोक्त के आधार पर, हमारा विचार है कि अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से उचित थी कि अपीलार्थी मृतक हिमाचल प्रसाद की मौत के लिए जिम्मेदार था और इस हद तक अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. हालांकि, तर्क के दौरान हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर गया कि अपीलार्थी और मृतक के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। यह तर्क अ.सा.–13 हीरालाल के बयान के पैरा–4 और 5 से सामने आया है। हम यह भी देखते हैं कि अपीलार्थी द्वारा विचाराधीन अपराध क्षणिक आवेश में, बिना किसी पूर्व विचार के अपीलार्थी का अचानक प्रकोपन क्षणिक आवेश में आकर किया गया था क्योंकि उसने देखा कि मृतक उसकी चचेरी बहन सुखमतबाई की शील भंग करने की कोशिश कर रहा था जिससे वह क्रोधित हो गया और अपीलार्थी ने पास में पड़ी कुल्हाड़ी से मृतक के सिर पर एक ही वार किया जिससे उसकी मौत हो गई।

20. इसलिए, बगदी राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्याम वीर और अन्य के मामलों में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, हम इस विचारित राय पर हैं कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आता है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराना उचित नहीं था।

21. इस प्रकार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि का निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश निरस्त किया जाता है तथा इसके स्थान पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(1) के तहत दोषी ठहराया जाता है तथा उसे 14 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाता है।

22. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थी 11.07.1994 से जेल में है और इस प्रकार वह पहले ही लगभग 12 वर्ष की जेल की सजा पूरी कर चुका है, जिस पर राज्य/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कोई विवाद नहीं किया है।

23. उपर्युक्त परिस्थितियों में, अपीलार्थी को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य अपराध के संबंध में उसकी आवश्यकता न हो।

सही /-	सही /-
फखरुद्दीन	**धीरेन्द्र मिश्रा**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By MS MITA TANDIA ADV.